International Journal for Innovative Engineering and Management Research
PEER REVIEWED OPEN ACCESS INTERNATIONAL JOURNAL
www.ijiemr.org

COPY RIGHT

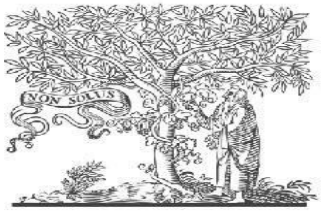

ELSEVIER SSRN

2022 IJIEMR. Personal use of this material is permitted. Permission from IJIEMR must be obtained for all other uses, in any current or future media, including reprinting/republishing this material for advertising or promotional purposes, creating new collective works, for resale or redistribution to servers or lists, or reuse of any copyrighted component of this work in other works. No Reprint should be done to this paper, all copy right is authenticated to Paper Authors

IJIEMR Transactions, online available on 26th Dec 2022. Link :http://www.ijiemr.org/downloads.php?vol=Volume-11&issue=Issue 12

10.48047/IJIEMR/V1/ISSUE 12/105

Volume 11, ISSUE 12, Pages: 788-796

Paper Authors **AMRITA BHARTI DR. JAYVEER SINGH**

USE THIS BARCODE TO ACCESS YOUR ONLINE PAPER

To Secure Your Paper As Per UGC Guidelines We Are Providing A Electronic Bar Code

International Journal for Innovative Engineering and Management Research
PEER REVIEWED OPEN ACCESS INTERNATIONAL JOURNAL
www.ijiemr.org

सहकारी समितियों में महिला कर्मचारियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का अध्ययन

CANDIDATE NAME- AMRITA BHARTI
DESIGNATION- RESEARCH SCHOLAR SUNRISE UNIVERSITY ALWAR
Guide name - DR. JAYVEER SINGH
DESIGNATION- Associate Professor SUNRISE UNIVERSITY ALWAR

सारांश

महिलाओं की स्थिति एक समुदाय से दूसरे समुदाय में भिन्न होती है, विशेषकर परिवारों, जातियों और जातियों में। दुनिया के अन्य प्रमुख धर्मों की तरह, हिंदू धर्म एक प्रमुख पुरुष धर्म है जिसमें महिलाओं की भूमिका गौण है। महिलाओं की स्थिति और उनकी स्थिति के ऐतिहासिक आधार पर नजर डालना प्रगति के मूल को समझने का सबसे बड़ा तरीका है। महिलाओं की स्थिति आम जनता के गहरे सामाजिक स्तर पर एक वास्तविक मुद्दा है और इसकी कार्रवाई प्रकृति में बहुत सामाजिक है। महिलाएं अब अपनी पत्नियों के साथ खड़ी हैं और उन्हें मुकदमा चलाने का अधिकार है, जब तक कि उनकी आत्मा के मित्र को उनसे मुक्त नहीं होने दिया जाता है, जो न केवल युवा पुरुषों की मां के लिए अशोभनीय है, बल्कि उनके घर में परम श्रेष्ठ, साथी के लिए भी अशोभनीय है। उनके जीवनसाथी. मनुष्य अपने बगल में एक महिला के बिना विकसित नहीं हो सकता जो उसके सभी प्रशिक्षणों में भाग ले सके। सामान्य आबादी में महिलाओं की भागीदारी के बिना मानव प्रगति का पहिया नहीं घूम सकता। वास्तव में, निष्पक्ष सेक्स के आकर्षण के बिना विकास स्वयं बेकार है। सर्वशक्तिमान निर्माता ने अपने शरीर को दो हिस्सों में विभाजित करना चुना है, एक पुरुष और दूसरा महिला। उनमें से आधे को पुरुषों और महिलाओं दोनों को पूरा करना होगा और असफल होना होगा। व्यक्ति से संबंधित किसी भी अंतिम मामले में महिलाओं की स्थिति सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। उत्तर पूर्व, असम और दक्षिण के देशों में, इन सभी रेफरल के अलावा, महिलाओं को मामले को पूरी तरह से न्यायपूर्ण बनाने के लिए मजबूर किया गया। समसामयिक आलोचकों और अन्य प्रमुख लेखकों ने टिप्पणियों और बहसों पर विशेष व्याख्यान दिये। कार्य को सार्थक एवं प्रामाणिक बनाने का हर दृष्टि से प्रयास किया गया है।

मुख्यशब्द: सामाजिक-आर्थिक स्थिति, महिला कर्मचारी, सहकारी समितियाँ, महिला जनसंख्या

प्रस्तावना

वर्तमान शोध वाराना सहकारी परिसर में महिला श्रमिकों का गहन आर्थिक अध्ययन करने का एक प्रयास है। इस प्रकार निम्नलिखित समस्याओं की जांच की जानी चाहिए। वाराना सहकारी परिसर के श्रमिकों की सामाजिक स्थिति, उनके रोजगार की प्रकृति, उनके छोड़ने का अधिकार, प्रदान की गई शिक्षा सुविधाएं, मजदूरी चरित्र के संबंध में उनकी आर्थिक स्थिति, गैर-मजदूरी लाभ, कार्यस्थल पर संतुष्टि का स्तर, शेयर पूंजी, उपभोग स्तर, खर्च करने की स्वतंत्रता, बचत, निवेश और ऋण पर जानकारी, राजनीतिक भागीदारी, आदि। वाराना सहकारी में महिला श्रमिकों का वास्तविक चरित्र इस और अन्य संबंधित समस्याओं के विस्तृत

International Journal for Innovative Engineering and Management Research
PEER REVIEWED OPEN ACCESS INTERNATIONAL JOURNAL
www.ijiemr.org

अध्ययन में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। महिलाओं ने विकास के लिए भारतीय आधार का निर्माण किया। भारत का विकास महिला-पुरुष की भावना पर निर्भर है; यह उठता है या गिरता है, हावी होता है या उज्ज्वल, सुरक्षित और मुक्त होता है। संगठन में महिलाओं की सत्यापित स्थिति और स्थिति का विश्लेषण इस संगठन की वृद्धि और विकास को पहचानने और मूल्यांकन करने का एक तरीका है। प्राचीन भारतीय महिलाओं को जिस हद तक शिक्षा दी जाती थी, उसे पूरी तरह से छोड़ दिया गया है। जोड़े की शादी की उम्र उत्तर वैदिक काल के आसपास थी। वास्तव में, यदि सैद्धांतिक रूप से नहीं, तो महिलाओं को जीवन में स्वयं निर्णय लेना था, और स्वयंवर वास्तव में क्षत्रिय मंडलियों के बीच नियमित था। विवाह के लक्ष्य, उनके बीच संबंध और उनके विशेषाधिकार लगभग पहले जैसे ही बने रहे। सती प्रथा अस्पष्ट है, और दहेज लेने वाली महिला अपने भाई या किसी अछूत पुरुष से विवाह के माध्यम से पुनर्विवाह कर सकती है। नियमित आधार पर, कोई महिला मुंडन नहीं होती थी। पूरा पर्दा काला था, लेकिन महिलाएं प्रवेश द्वार पर रुक गईं।

स्वतंत्रता के बाद के भारत में महिलाएँ

इस बीच इंदिरा गांधी का मानना था कि भारतीय महिलाएं जन्म से ही विकलांग होती हैं। उन्होंने परिवार व्यवस्था में महिलाओं द्वारा निभाई गई भूमिका की सराहना की, जबकि अभी भी इसे महसूस किया जा रहा है; वह "समुदाय के लाभ और प्राथमिकता के लिए अपने प्रभाव का उपयोग करने में सक्षम थी।" 70 इस वास्तव में अस्पष्ट भाषाई अभिव्यक्ति में स्पष्ट रूप से कई समस्याएं शामिल थीं, क्योंकि एक महिला व्यवहार के बिना व्यापक क्षेत्र में संभवतः कोई चमत्कार नहीं कर सकती थी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में घोषित करना और प्रत्येक घटक राज्य को अपने राष्ट्रों में महिलाओं की स्थिति के बारे में रिकॉर्ड और रिपोर्ट तैयार करने के लिए इसका मार्गदर्शन दुनिया भर में महिलाओं की प्रगति पर उल्लेखनीय जोर देने वालों में से एक था। बोर्ड की स्थापना 1971 में भारत में की गई थी, और महिलाओं की स्थिति को प्रभावित करने वाली कई गारंटीकृत और अनूठी गेम योजनाओं का मूल्यांकन करने के लिए टचिंग इक्वेलिटी रिपोर्ट को 1974 में मंजूरी दी गई थी। यह एक तीखी रिपोर्ट थी जिसमें एसोसिएशन को यह कहने के लिए बुलाया गया था कि आजादी के बाद से महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है, बल्कि और खराब हुई है, और "महिलाओं का शेर प्रस्ताव अभी भी संवैधानिक अधिकारों की सराहना करने से अविश्वसनीय रूप से दूर है और उनके लिए खुलता है ।" 71 महिला विकास अध्ययन केंद्र (1980) और यूनिवर्सिटी सबवेंशन कमीशन के महिला अध्ययन में उन्नत अनुसंधान केंद्र का काम इस अध्ययन के संबंध में 71 अन्य चरणों में भी अलग-अलग सावधानियों की योजना के साथ किया जा रहा था।

भारतीय महिलाएं आज एक चौराहे पर हैं। भारतीय संस्कृति के क्षेत्र में उनकी स्थिति मिश्रित हो गयी। हालाँकि विभिन्न भारतीय महिलाओं ने व्यवसाय, आईटी और प्रशासन जैसे क्षेत्रों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, कई दूर के मिशनों और संयुक्त राष्ट्र में भारत को संबोधित कर रही हैं, जबकि कई मनोरंजन के क्षेत्र में उम्मीदों से आगे निकल गई हैं। भारत देश में यह तस्वीर आकर्षक बनी रही, वहीं दूसरी ओर ओ'जे. हालाँकि एक महिला का प्राथमिक लाभ यह है कि उसने राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए उपाय किए हैं!,

International Journal for Innovative Engineering and Management Research
PEER REVIEWED OPEN ACCESS INTERNATIONAL JOURNAL
www.ijiemr.org

एक बड़ा हिस्सा जीवन साथी और, अधिक महत्वपूर्ण रूप से, माँ के रूप में रहता है; घर और शहर दोनों जगह लोगों द्वारा दुर्व्यवहार का शिकार होना; विशेषकर शहरी जमींदारों से। यह भारतीय राष्ट्र में है जहां महत्व की स्थिर श्रृंखलाएं अब अपने बिगड़ते और सुस्त रूप में सबसे अधिक स्पष्ट हैं; नव-अग्रणी वार्ताओं और संपन्न लोगों तथा धन की आवश्यकता वाले लोगों के बीच अनियमितताओं ने अधीनता की सामान्य संरचनाओं को प्रतिस्थापित कर दिया है। यह भारत ही है जो हर बात पर विचार करते हुए महाश्वेता देवी की कहानियों का आधार बनता है। आशीष नंदी ने आज महिलाओं की इस स्पष्ट रूप से भ्रम-तोड़ने वाली छवि को सभी भारतीय महिलाओं की सामाजिक व्याख्याओं की प्रथागत विशेषता का नाम दिया है, और संकेत दिया है कि महिलाओं की राजनीतिक और वैध पूर्ति को सम्मोहक लॉबी की गैर-लिंगीय जीवन शैली के संदर्भ में स्पष्ट किया जा सकता है। . - कानून और जबड़े, जो महिलाओं के अधिकार के लिए मानदंड निर्धारित करते हैं1 उसी तरह जैसे नियम उनकी अधीनता के लिए नियम स्थापित करते हैं, स्वयं को प्रभावित करते रहते हैं और विभिन्न रूपों में उभरते रहते हैं। यह शायद आश्चर्य की बात नहीं है कि यद्यपि देश और इसके व्यक्तिगत वोटिंग बैंकों के उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के लिए ओबीसी के लिए आरक्षण के विधेयक पर मतदान करने के हर राजनीतिक सामाजिक अवसर में शानदार वृद्धि देखी गई है, महिला आरक्षण विधेयक, जो संसदीय सीटों का 33% बनाता है महिलाओं के लिए, आर में अपना स्थान बनाए रखना जारी रखा है। हालाँकि महिला संगठन, गैर सरकारी संगठन और महिला सांसद बार-बार हर राजनीतिक सामाजिक अवसर के लिए अपनी प्रतिबद्धता और मौखिक समर्थन को बढ़ावा देते हैं, फिर भी विधेयक भाग्य-प्रवाह का रुख अपनाता रहता है। गुप्त रूप से, विभिन्न संसदों को इस कानून से कोई परेशानी नहीं है क्योंकि उनके अपने विशेष स्थान खो सकते हैं और अब महिलाओं को जीवन देने के लिए स्थापित नहीं किए जा सकते हैं।

महिलाओं पर शास्त्रीय समाजशास्त्रियों के सैद्धांतिक पहलू

शास्त्रीय समाजशास्त्रियों ने स्वयं महिलाओं की स्थिति की जांच की। ऑगस्ट कॉम्टे ने दावा किया कि महिलाएं पुरुषों के पास जाती हैं क्योंकि उनका विकास बचपन में ही रुक जाता है। उनका मानना था कि अगर शादीशुदा महिलाएं पुरुषों के अधीन रहती हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने अहस्तक्षेप प्रकृति का मूल्यांकन किया जो निश्चित या अपरिवर्तित नहीं है। इसके अलावा, उन्होंने दावा किया कि कोई भी यह नहीं पूछेगा कि महिलाएं घरेलू क्षेत्र में कुछ समझती हैं या नहीं। एमिल दुर्खीम दो प्रतिबंधित संदर्भों में महिलाओं की चर्चा में हिस्सा थीं। पहला विवाह और परिवार के बीच सकारात्मक संबंध था जिसमें महिलाओं को महसूस हुआ कि उनके घरों में उनकी पारंपरिक जिम्मेदारियाँ हैं। दूसरा, आत्महत्या/तलाक और कामुकता के बीच प्रतिकूल संबंध था, जो आत्महत्या और तलाक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक बार फिर, इनमें से प्रत्येक संबंध में महिलाओं को अनिवार्य रूप से पुरुषों से अलग माना जाता था - प्रकृति के हिस्से के रूप में, समाज का नहीं, या यहां तक कि एक अधिक प्राचीन सभ्यता का हिस्सा जो दुर्खीम के लिए एक निचला राज्य था।

ϖ महिलाओं के प्रति आधुनिक दृष्टिकोण

सिद्धांत रूप में, समाजशास्त्रियों और संबंधित क्षेत्रों के शोधकर्ताओं का मानना है कि रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में अलग माना जाता

International Journal for Innovative Engineering and Management Research
PEER REVIEWED OPEN ACCESS INTERNATIONAL JOURNAL
www.ijiemr.org

है। नव-शास्त्रीय सिद्धांतकारों के अनुसार, एक ही उम्र और शिक्षा के पुरुषों और महिलाओं के बीच उत्पादकता दो कारणों से भिन्न मानी जाती है। सबसे पहले, श्रम बाजार में व्यवधान के परिणामस्वरूप महिलाएं बच्चों को पालने और पालने के लिए नौकरी में पुरुषों की तुलना में औसतन कम खर्च करती हैं। दूसरे, जो महिलाएं नौकरी करती हैं उनके पास नौकरी चुनकर अपने कौशल को बढ़ाने का मौका कम होता है। स्कूल के विद्वानों - समग्रता और नियतिवाद पर आधारित राष्ट्रों - पर ध्यान केंद्रित करके हम केवल इस गलत विचार को बनाए रखते हैं कि बाहरी कारकों को मानव सोच और आचरण को प्रभावित करने और पुन: पेश करने की आवश्यकता है। एक मार्क्सवादी, मैकनेली (1979) का कहना है कि समाजशास्त्र परीक्षणों को यह नहीं मानना चाहिए कि रोजगार में महिलाओं का अभिविन्यास केवल उनकी शिक्षा और उनके बाद के होमवर्क से प्रभावित होता है।

ϖ महिला एवं शिक्षा

स्वतंत्र भारत में महिला शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में बदलाव देखा गया है। भारतीय संविधान देश से जीवन के सभी क्षेत्रों में महिला साक्षरता की स्थिति बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम स्थापित करने का आग्रह करता है। 2011 की जनगणना के प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार प्रभावी साक्षरता दर 9.2 प्रतिशत बढ़कर 74.04 प्रतिशत हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों की तुलना में काफी बेहतर थी। हालाँकि पुरुषों के लिए प्रभावी साक्षरता दर 6.9% बढ़कर 75.26% से बढ़कर 82.14% हो गई, महिलाओं के लिए साक्षरता दर 11.8% बढ़कर 53.67% से 65.46% हो गई। पिछली जनगणना के प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार, साक्षर आबादी 74% 7 वर्ष और उससे अधिक उम्र की है। गोयल (2004) ने कहा कि साक्षरता या पढ़ने और लिखने की क्षमता औपचारिक शिक्षा का पहला स्तर है। पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं की साक्षरता में उत्तरोत्तर सुधार हुआ है। पिछले दशक में, महिला साक्षर छात्रों का अनुपात 1991 में 39.29% से 15% बढ़कर 2001 में 54.16% हो गया। हालाँकि, भारत में 193 मिलियन महिलाएँ अभी भी निरक्षर हैं। इस पर ध्यान दिया जा सकता है. साक्षरता में लैंगिक अंतर 22 प्रतिशत अंक पर बहुत महत्वपूर्ण बना हुआ है। अनुसूचित जाति और जनजाति जैसे वंचित समूहों के बीच असमानताएँ अधिक स्पष्ट हैं। नियोजित जातियों (एससी) की 50%, जबकि महज़ 24% महिलाएँ पढ़-लिख सकती हैं। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के 41% एवं 18% पुरुष एवं महिलाएं साक्षर हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में काफी कमियाँ हैं, जबकि शहरी महिलाएँ, विशेष रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति में, ग्रामीण पुरुषों से लगभग मेल खाती हैं।

भारत में महिला रोजगार

भारत की आजादी के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। भारत जैसे देश में उत्पादक रोजगार के लिए गरीबी में कमी लाना और सामाजिक आर्थिक समानता को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। हालाँकि, मुक्त बाज़ार शक्तियों के संचालन के परिणाम हमेशा निष्पक्ष नहीं होते हैं, विशेषकर भारत में, जहाँ कुछ समूहों को वैश्वीकरण नुकसानदेह लग सकता है। महिलाएँ इन कमजोर समूहों में से एक हैं। महिलाएं लगातार वंचित बनी हुई हैं क्योंकि वे अक्सर एक कामकाजी श्रृंखला में काम करती हैं और शायद ही कभी अपना काम स्वायत्त रूप से सौंपती हैं। उनके पास जिम्मेदारी साझा करने या स्वतंत्र निर्णय लेने का अभी भी बहुत

International Journal for Innovative Engineering and Management Research
PEER REVIEWED OPEN ACCESS INTERNATIONAL JOURNAL
www.ijiemr.org

दूर का अवसर है। महिलाओं की निर्णय लेने की क्षमता, उनकी पसंद की स्वतंत्रता और कार्य करने की स्वतंत्रता में सुधार के लिए उनकी आर्थिक स्वायत्तता महत्वपूर्ण है। कई कामकाजी महिलाएं जो अपनी आय का प्रबंधन स्वयं करती हैं, आवश्यकता पड़ने पर परिवार की आर्थिक जरूरतों में योगदान देती हैं।

यह सच है कि वैश्वीकरण, जिसने महिलाओं को अधिक और बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं, ने उन्हें एक बहुत ही विरोधाभासी स्थिति दी है, जहां वे आर्थिक रूप से स्वायत्त हैं, अर्जित श्रमिक हैं, लेकिन अपनी आर्थिक स्वतंत्रता का आनंद नहीं ले सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र की तुलना में अधिक प्रतिशत महिलाओं को रोजगार देता है, फिर भी समान काम के लिए समान वेतन की आवश्यकता वाले कानूनों के बावजूद, सार्वजनिक क्षेत्र का वेतन कम उचित है। अगर कोई महिला नौकरी भी करती है तो भी उसका वित्तीय मामलों पर असर नहीं पड़ सकता है। भारतीय संस्कृति में महिलाओं को अपना लगभग सारा समय, ऊर्जा, जीवन और कमाई अपने परिवार पर समर्पित करनी चाहिए। इसके विपरीत, पुरुष अपने घर के बाहर समय बिताते हैं और कम से कम अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बाहर बिताते हैं। हाल के वर्षों में, भारत में महिलाओं के लिए कामकाजी परिस्थितियों में काफी सुधार हुआ है। विडंबना यह है कि बेहतर स्थिति के बावजूद वे अब भी पुरुषों पर निर्भर हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज में लोगों ने हमेशा आर्थिक स्वतंत्रता और निर्णय लेने की शक्ति दिखाई है। क्योंकि कामकाजी महिला उसी पितृसत्तात्मक ढांचे में स्वतंत्र आय अर्जित करती है, जहां समाज का बुनियादी ढांचा मुश्किल से बदला है और भले ही उसी ढांचे में उसकी भूमिका संक्रमण के दौर से गुजरती हो, उसके लिए शोषण के प्रति संवेदनशील रहना काफी सामान्य है। आर्थिक रूप से स्वतंत्र राज्य. संगठन को अभी भी महिलाओं को मुख्य भूमिका निभाने और कंपनी में महिलाओं को उचित मान्यता प्राप्त करने की आवश्यकता हो सकती है;

निष्कर्ष

कामकाजी महिलाओं की अवधारणा का अध्ययन विभिन्न मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, सामाजिक और समाजशास्त्रीय संदर्भों में किया गया है। समाजशास्त्रियों ने प्रदाताओं के रूप में महिलाओं की नई स्थिति और गृहिणियों तथा बच्चों और अन्य संबंधित कर्तव्यों के लिए पर्यवेक्षकों के रूप में उनकी पिछली स्थिति के बीच संघर्ष पर व्यापक रूप से बहस की। इस विकासात्मक घटना का अलग-अलग मूल्यांकन किया गया है, जिसमें बर्चर्ड (1954) भी शामिल है, जिन्होंने इसे मेर्टन के अर्थ में परिवार में अकार्यशील और अकार्यात्मक के रूप में देखा। वास्तव में, महिलाओं को पहले ही राष्ट्रीय विकास के लिए महत्वपूर्ण घोषित किया जा चुका है। वे राष्ट्र के विकास के लिए एक विशाल मानव संसाधन हैं। इसके अलावा, हिंदू संस्कृति ने महिलाओं के जीवन को बदलने के लिए सामान और उपकरण के रूप में सामाजिक-आर्थिक पहलुओं को विकसित किया। विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी, शिक्षित मध्यम वर्ग की महिलाएं अपनी आर्थिक आवश्यकता, बढ़ती लागत, अब जीने की इच्छा और अपनी विशेषज्ञता के अनुप्रयोग के कारण अपने घरों को लौट आई हैं। बदले में, विभिन्न क्षेत्रों में जीवन-समस्याओं के प्रति महिलाओं के विचारों में बदलाव ने उनके व्यवहार पैटर्न को प्रभावित किया है। दूसरी ओर, कामकाजी महिलाओं की वृद्धि और परिवार में उनकी आर्थिक स्थिति के साथ, उन्होंने विवाह,

पारिवारिक जीवन, शिक्षा, सामाजिक मानदंडों और परंपराओं सहित सामाजिक समस्याओं के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल दिया है। कामकाजी महिलाओं पर इसका बड़ा असर पड़ता है. शिक्षित कामकाजी महिलाओं में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। नतीजतन, समाजशास्त्रियों और सामाजिक वैज्ञानिकों के लिए उन शिक्षित महिलाओं, विशेषकर शिक्षित महिलाओं के बदले हुए विचारों और व्यवहारों की जांच करना महत्वपूर्ण है। दुनिया भर में महिलाओं ने हाल के वर्षों में आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी और वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप जीवन में परिवर्तन देखा है जिसका उनके विचारों, विचारों, आकांक्षाओं, विचारों, भावनाओं और जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलतापूर्वक भाग लेने के प्रयासों पर प्रभाव पड़ा है। हाल के सामाजिक परिवर्तन के सबसे स्थायी परिणामों में से एक महिला सशक्तिकरण में वृद्धि थी। घरेलू महिलाओं के रूप में महिलाएं कैसे आर्थिक रूप से सफल, प्रभावी और परिपक्व हो गई हैं। अतीत में, कामकाजी उम्र की शहरी आबादी में पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक होती थी, लेकिन महिलाएं बढ़ रही हैं। शहरी कामकाजी आबादी की वर्तमान और अनुमानित वृद्धि में पुरुषों के बराबर महिलाएं भी शामिल हो सकती हैं, यदि अधिक नहीं। विद्यार्थियों के स्टाफ में कमी के माध्यम से उन्नत शिक्षा से महिलाओं के कम से कम हाई स्कूल के बाद कार्यबल में शामिल होने की अधिक संभावना बनती दिख रही है। वे यह सोचने में अधिक इच्छुक हैं कि शिक्षा और रोजगार का प्रश्न समानता का है। नौकरियाँ महिलाओं को पैसा कमाने का अवसर प्रदान करती हैं, जिससे उनकी सामाजिक स्थिति में वृद्धि होती है। कामकाजी महिलाओं के अध्ययन से पता चलता है कि कई महिलाओं, विशेष रूप से पुरुषों के विचारों को प्रशिक्षण और रोजगार के दौरान घरेलू क्षेत्र से बाहर धकेल दिया गया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. डॉ. सी. थानावथी 2020, “भारत में आधुनिक महिलाओं की स्थिति,” और थानावथी सी. 24 जुलाई 2020 को।

2. शाह आलम 2015, "भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी और मीडिया की भूमिका," आईएसएसएन में उन्नत अनुसंधान के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल: 2278-6236 प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान

3. राधा जगन्नाथन 2017, "परिवार, समाज और व्यक्ति: चेन्नई, दक्षिण भारत में युवाओं के बीच उद्यमशीलता के दृष्टिकोण के निर्धारक," जर्नल ऑफ़ ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप रिसर्च वॉल्यूम 7, अनुच्छेद संख्या: 14 (2017)

4. देबारती हलदर 2015, "हिंदू महिलाओं के संपत्ति अधिकार: प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के उत्तराधिकार कानूनों की एक नारीवादी समीक्षा," कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा ऑनलाइन प्रकाशित: 24 अप्रैल 2015

5. बैश्य, एन. (2017)। महिला अधिकारों की स्थिति: असम के बक्सा जिले (बीटीएडी) का एक अध्ययन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस इन्वेंशन, खंड 6, अंक 12, 26।

6. बसु, के. (2017)। बोडोलैंड आंदोलन और असम में जातीय हिंसा। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिव्यू, खंड 5, अंक 12, 153-154।

7. ब्रह्मा, के. (2013)। पहचान की राजनीति: असम में बोडो का एक केस स्टडी। असम विश्वविद्यालय, सिलचर: अप्रकाशित पीएच.डी. थीसिस.

8. चौधरी, आर. (2018)। भारत में मानवाधिकार, महिला अधिकार और संस्कृति। उन्नत अनुसंधान और विकास के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, वॉल्यूम। 3, अंक 1, 517-518.

9. दैमारी, जी. (2016)। मानवाधिकारों की स्थिति: बोडोलैंड प्रादेशिक स्वायत्त जिलों का एक अध्ययन। सिक्किम विश्वविद्यालय: अप्रकाशित एम.फिल शोध प्रबंध।

10. दास, जे. (2012)। उत्तर पूर्व भारत में महिलाओं के मानवाधिकार। मानविकी और सामाजिक विज्ञान जर्नल, वॉल्यूम। 3, अंक 4, 34-36.

11. गोगोई, आर.एम. (2015)। संघर्ष के बाद की स्थिति में लिंग का स्थानांतरण: असम परिदृश्य में एक अंतर्दृष्टि। इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल ऑफ सोशल साइंसेज, खंड 4 (12), 38।

12. कुद्दुस, ए. (2018)। मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण में असम मानवाधिकार आयोग की भूमिका। जर्नल ऑफ मैनेजमेंट इन प्रैक्टिस, वॉल्यूम। 3, नंबर 1, 3-4.